जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर   दिनांक 04.05.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट में वाँछित 04 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

वादी श्री कपिल कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम रुपपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 03.05.2025 को समय करीब 21.30 बजे वादी अपने गाडी चालक उदित कुमार के साथ अपने ईंट भट्टे इस्माइलपुर से घर वापस आ रहा था। वादी की गाडी जैसे ही धनौरा फाटक पर पहुंची तो दो लडके (नईम अहमद व सरफराज) द्वारा वादी की गाडी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी, जिसको वादी व उसके चालक द्वारा हटाने के लिये कहा गया तो मोटरसाइकिल सवार युवको द्वारा वादी व वादी के चालक के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की गयी तथा वादी का मोबाइल तोड दिया, जिसके उपरान्त मोटरसाइकिल सवार युवको के अन्य साथी मौके पर पहुंचे और उन्होने वादी व वादी के चालक के साथ मारपीट की गयी तथा उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिससे वादी की गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/304(2)/125/351(3)/131 बनाम नईम अहमद व सरफराज उपरोक्त सहित 07 नामजद व 10-15 लोग अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/304(2)/125/351(3)/131 में वाँछित अभियुक्त 1 नईम अहमद पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 जमाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2- नाजिम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3- वसीम उर्फ टोनी पुत्र सईद उर्फ छिद्दा निवासी मौ0 जमाईपुरा सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये

अभियुक्त 4- कामिल पुत्र बाले निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग में धारा 304(2) बीएनएस का लोप कर धारा 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट की वृद्धि की गयी है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता –

1- नईम अहमद पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 जमाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2- नाजिम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- वसीम उर्फ टोनी पुत्र सईद उर्फ छिद्दा निवासी मौ0 जमाईपुरा सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर।

4- कामिल पुत्र बाले निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त –

अभि0 नईम अहमद का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 नाजिम का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 340/20 धारा 147/323/447/504/506 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर

2- मु0अ0स0 709/20 धारा 504/506 भादवि0 व 4/10 वन अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर

3- मु0अ0स0 466/22 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 वसीम उर्फ टोनी का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 कामिल का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 447/20 धारा 323/324/504 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री संजय कुमार तोमर, थाना प्रभारी चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 राजेन्द्र सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी आकाश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

6- आरक्षी अवनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

7- आरक्षी अर्जुन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–पुलिस लाईन बिजनौर दिनांक- 04.05.2025

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस बास्केटबाल एवं हैण्डबाल प्रतियोगित बरेली जोन, बरेली वर्ष – 2025 का द्वितीय दिन।

पुरूष बास्केटबालः-

बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर एवं शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बिजनौर ने विजय प्राप्त की। दूसरा मैच बरेली एवं मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद ने विजय प्राप्त की।

महिला हैण्डबालः-

हैण्डबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर एवं बदायूं के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बिजनौर ने विजय प्राप्त की।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद दिनांक 04.05.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा कब्जे से चोरी के 24,000/- रुपये बरामद किये गये ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2025 को वादी श्री निपुर्ण अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राकेश कुमार अग्रवाल निवासी बाजार कल्लूगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी की मैसर्स अग्रवाल आईरन सिमेंट डीलर्स का प्रतिष्ठान है। दिनांक 03.05.2025 को उसके प्रतिष्ठान से सुबह के समय एक अज्ञात लडका ने गल्ले से 35,000/- रुपये चोरी कर लिये है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एक बालअपचारी का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा बाल अपचारी से चोरी के 24,000/- बरामद किये गये तथा अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी ।

बाल अपचारी ने बताया कि वह कल पूजा हॉस्पिटल के पास घूम रहा था, जहां एक सीमेंट की दुकान पर दुकानदार सो रहा था, उसने मौका पाकर गल्ले से रुपये चोरी कर लिए और घर जाकर उन पैसो से खाना-पीना व कपड़े खरीदकर कुछ पैसे खर्च कर दिये थे ।

बाल अपचारी का विवरण -

एक बाल अपचारी

बरादमगी का विवरण -

चोरी के 24,000/- रुपये

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 332/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0-348/2024 धारा 304(1)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0-17/2025 धारा 131/191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0-144/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

1-उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2- मुख्य आरक्षी नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

3- आरक्षी मोनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक- 04.05.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट में 5,000/- रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2025 को वादिया श्रीमती राजबाला पत्नी राजपाल निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अजय, 2.अंकुश, 3.सचिन पुत्रगण पुनीत व 4.पुनीत पुत्र डिग्गी समस्त निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पुत्र राहुल उर्फ बिट्टू, देवर बोबी व रिश्तेदार रूपेश के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इस संबंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्त 1- अंकुश पुत्र पुनीत 2- सचिन पुत्र पुनीत निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्त अजय उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही का विवरण -

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में 5000/- रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त अजय पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 62/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 106/25 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 मीर हसन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी शक्ति पंवार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी मौ0 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना स्योहारा **दिनांक- 04.05.2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 169/2025 धारा 316(5)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि कलेक्शन ऐजेंट पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा स्वास्तिक फाइनेंस कम्पनी के विभिन्न गांवो से इक्ट्ठा किये गए 1,40,745 रूपयो का बेईमानी करते हुए गबन कर लिया गया, जिन्हे बार-बार मांगने पर भी वापस नही किया गया तथा धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 316(5)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर दिनांक 04.05.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट में वाँछित 04 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

वादी श्री कपिल कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम रुपपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 03.05.2025 को समय करीब 21.30 बजे वादी अपने गाडी चालक उदित कुमार के साथ अपने ईंट भट्टे इस्माइलपुर से घर वापस आ रहा था । वादी की गाडी जैसे ही धनौरा फाटक पर पहुंची तो दो लडके (नईम अहमद व सरफराज) द्वारा वादी की गाडी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी, जिसको वादी व उसके चालक द्वारा हटाने के लिये कहा गया तो मोटरसाइकिल सवार युवको द्वारा वादी व वादी के चालक के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की गयी तथा वादी का मोबाइल तोड दिया, जिसके उपरान्त मोटरसाइकिल सवार युवको के अन्य साथी मौके पर पहुंचे और उन्होने वादी व वादी के चालक के साथ मारपीट की गयी तथा उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिससे वादी की गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/304(2)/125/351(3)/131 बनाम नईम अहमद व सरफराज उपरोक्त सहित 07 नामजद व 10-15 लोग अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/304(2)/125/351(3)/131 में वाँछित अभियुक्त 1 नईम अहमद पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 जमाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2- नाजिम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3- वसीम उर्फ टोनी पुत्र सईद उर्फ छिद्दा निवासी मौ0 जमाईपुरा सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये

अभियुक्त 4- कामिल पुत्र बाले निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग में धारा 304(2) बीएनएस का लोप कर धारा 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट की वृद्धि की गयी है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता –

1- नईम अहमद पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 जमाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2- नाजिम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- वसीम उर्फ टोनी पुत्र सईद उर्फ छिद्दा निवासी मौ0 जमाईपुरा सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर।

4- कामिल पुत्र बाले निवासी मौ0 काजीजादगान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त –

अभि0 नईम अहमद का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 नाजिम का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 340/20 धारा 147/323/447/504/506 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर

2- मु0अ0स0 709/20 धारा 504/506 भादवि0 व 4/10 वन अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर

3- मु0अ0स0 466/22 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 वसीम उर्फ टोनी का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभि0 कामिल का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 447/20 धारा 323/324/504 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131/ 109(1) बीएनएस व धारा 07 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री संजय कुमार तोमर, थाना प्रभारी चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 राजेन्द्र सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी आकाश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

6- आरक्षी अवनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

7- आरक्षी अर्जुन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–पुलिस लाईन बिजनौर   दिनांक- 04.05.2025

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस बास्केटबाल एवं हैण्डबाल प्रतियोगित बरेली जोन, बरेली वर्ष – 2025 का द्वितीय दिन।

पुरूष बास्केटबालः-

बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर एवं शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बिजनौर ने विजय प्राप्त की। दूसरा मैच बरेली एवं मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद ने विजय प्राप्त की।

महिला हैण्डबालः-

हैण्डबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर एवं बदायूं के बीच खेला गया, जिसमें जनपद बिजनौर ने विजय प्राप्त की।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद दिनांक 04.05.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा कब्जे से चोरी के 24,000/- रुपये बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2025 को वादी श्री निपुर्ण अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राकेश कुमार अग्रवाल निवासी बाजार कल्लूगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी की मैसर्स अग्रवाल आईरन सिमेंट डीलर्स का प्रतिष्ठान है। दिनांक 03.05.2025 को उसके प्रतिष्ठान से सुबह के समय एक अज्ञात लडका ने गल्ले से 35,000/- रुपये चोरी कर लिये है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एक बालअपचारी का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया तथा बाल अपचारी से चोरी के 24,000/- बरामद किये गये तथा अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी।

बाल अपचारी ने बताया कि वह कल पूजा हॉस्पिटल के पास घूम रहा था, जहां एक सीमेंट की दुकान पर दुकानदार सो रहा था, उसने मौका पाकर गल्ले से रुपये चोरी कर लिए और घर जाकर उन पैसो से खाना-पीना व कपड़े खरीदकर कुछ पैसे खर्च कर दिये थे।

बाल अपचारी का विवरण -

एक बाल अपचारी

बरादमगी का विवरण -

चोरी के 24,000/- रुपये

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 332/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0-348/2024 धारा 304(1)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0-17/2025 धारा 131/191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0-144/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

1-उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2- मुख्य आरक्षी नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी मोनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक- 04.05.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट में 5,000/- रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2025 को वादिया श्रीमती राजबाला पत्नी राजपाल निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अजय, 2.अंकुश, 3.सचिन पुत्रगण पुनीत व 4.पुनीत पुत्र डिग्गी समस्त निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पुत्र राहुल उर्फ बिट्टू, देवर बोबी व रिश्तेदार रूपेश के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इस संबंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्त 1- अंकुश पुत्र पुनीत 2- सचिन पुत्र पुनीत निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्त अजय उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही का विवरण -

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में 5000/- रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त अजय पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 62/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 106/25 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 मीर हसन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी शक्ति पंवार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी मौ0 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना स्योहारा **दिनांक- 04.05.2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 169/2025 धारा 316(5)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि कलेक्शन ऐजेंट पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा स्वास्तिक फाइनेंस कम्पनी के विभिन्न गांवो से इक्ट्ठा किये गए 1,40,745 रूपयो का बेईमानी करते हुए गबन कर लिया गया, जिन्हे बार-बार मांगने पर भी वापस नही किया गया तथा धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 316(5)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पंकज कुमार पुत्र दौलत सिंह निवासी मंझरा मंडूवाखेडा थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।